

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-1183 / 15संस्थित दिनांक-10.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

जयकुमार पुत्र रामचित्र गुर्जर उम्र 24 साल

निवासी गिरगांव थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 18.04.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1-बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 17.11.15 को समय 09:45 बजे, नावली रोड शर्मा फार्म हाउस के आगे रोड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस रखा।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना गोहद चौराहे पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक सुरेशदत्त मिश्रा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नावली मोड ग्वालियर हाईवे के पास एक पल्सर मोटरसाईकिल काले रंग की आई है जिस पर तीन लडके वारदात करने की नियत से आ रहे हैं। उक्त सूचना की तस्दीक पर मुखबिर के बताए स्थान पर मय फोर्स के पहुंचे तो वहां तीन लडके एक मोटरसाईकिल पर आए और जिन्हें रोकने का प्रयास करने पर नावली मोड तरफ शर्मा फार्म हाउस के पास मोटरसाईकिल पटककर इधर उधर भागे जिनमें से एक व्यक्ति को एसआई मिश्रा द्वारा आरक्षक अजीत व जितेन्द्र के साथ पकड़ा, नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम पता बताया। तलाशी लेने पर उसके कमर में बांयी तरफ एक 315 बोर का कट्टा खुरसे मिला जिसके चैम्बर में खोलकर देखने पर एक जिंदा कारतूस लगा था। कट्टा व कारतूस रखने की अनुज्ञप्ति पूछे जाने पर अनुज्ञप्ति न होना बताया। आग्नेय आयुध जब्तकर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया, थाने पर आकर अप0क्र0-270/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेख किए गए। जप्तशुदा कट्टा व कारतूस की जांच कराई गई। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.11.15 को समय 09:45 बजे, नावली रोड शर्मा फार्म हाउस के आगे रोड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस रखा ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में जितेन्द्र गुर्जर अ0सा0 1, अजीत सिकरवार अ0सा0 2, महेन्द्रसिंह अ0सा0 3, सुनील बौहरे अ0सा0 04, सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 05 एवं किशनलाल राठौर अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 17.11.15 को थाना गोहद चौराहा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को जयें मुखबिर एस0ओ0 (थाने के भारसाधक अधिकारी) रामबाबू यादव को सूचना मिली तो उनके साथ शासकीय वाहन से वे लोग नावली रोड ग्वालियर हाईवे के पास गए जहां एक मोटरसाईकिल पल्सर काले रंग की जिस पर तीन लोग बैठे थे जिन्हें रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाईकिल नावली रोड की तरफ शर्मा फार्म हाउस के पास पटक कर इधर उधर भागे तब उसने, आरक्षक अजीत व जितेन्द्र ने घेरकर पकड़ा तो एक व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जयकुमार पुत्र रामचित्र गुर्जर निवासी गिरगांव महाराजपुरा का होना बताया। अभियुक्त की तलाशी साक्षी द्वारा लेने पर बांयी तरफ कमर में पैंट के नीचे एक 315 बोर का कट्टा खुरसे मिला जिसे खोलकर देखने पर चैम्बर में 315 बोर का जिंदा राउण्ड मिला। अभियुक्त से आग्नेय आयुध के संबंध में लायसेंस चाहे जाने पर लायसेंस न होना व्यक्त किया। अभियुक्त से उक्त साक्षीगण के समक्ष कट्टा व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 बनाए जाने और उस पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् अभियुक्त को गिर0 कर गिर0 पंचनामा प्र0पी0 2 बनाए जाने जिस पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर करने का कथन करते हैं। अभियुक्त को मय आग्नेय आयुध थाने पर वापस लाकर रोजनामचा सान्हा में इन्द्राज कर अप0क0-270/15 पर प्राथमिकी लेखबद्ध किए जाने का कथन करते हैं जो प्र0पी0 5 बताकर उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

7. जब्ती के साक्षी जितेन्द्र अ0सा0 1 तथा अजीत सिकरवार अ0सा0 2 हैं जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 17.11.15 को थाना गोहद चौराहा में थाना प्रभारी आर0बी0एस0 यादव, एसआई एस0डी0 मिश्रा, आरक्षक के साथ शासकीय वाहन से इलाका भ्रमण हेतु जाने का कथन करते

हैं। यह कथन करते हैं कि गश्त के दौरान मुखबिर से थाना प्रभारी को सूचना मिली कि नावली मोड हाईवे के पास पल्सर मोटरसाईकिल काले रंग की जिस पर तीन लडके बैठे हैं। उक्त सूचना की तस्दीक में रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाईकिल को नावली मोड तरफ शर्मा फार्म हाउस के पास पटककर भागे जिनमें से एक अभियुक्त को पकड़ने का कथन करते हैं और शेष अभिसाक्ष्य में जब्तीकर्ता सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 5 के कथनों का समर्थन करते हुए जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 व गिर0 पत्रक प्र0पी0 2 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं।

8. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा अपराध में लिप्त कर दिया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटनास्थल/जब्ती स्थल सार्वजनिक स्थान बताया गया है फिर भी किसी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है ऐसे में अभियोजन का मामला संदेहास्पद होने का तर्क प्रस्तुत किया है। साक्ष्य विधि के अधीन ऐसा कोई नियम नहीं है कि मात्र पुलिस साक्षी होने से अभियोजन के साक्षियों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु पुलिस साक्षी की साक्ष्य को भी साधारण साक्षी की भांति विश्लेषित व संपुष्टि की आवश्यकता होती है। जब्तीकर्ता अ0सा0 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताते हैं कि नावली रोड ग्वालियर हाईवे पर मोटरसाईकिल की सूचना प्राप्त हुई थी। जितेन्द्र अ0सा0 1 व अजीत अ0सा0 2 भी जब्ती स्थल हाईवे के निकट नावली मोड पर शर्मा फार्म हाउस के पास का होना बताते हैं। जब्तीकर्ता अ0सा0 5 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि नावली रोड आम रोड पर है, यह भी स्वीकार करते हैं कि नावली रोड पर कल्लू तोमर का भोजनालय है जहां होटल पर कार्य करने वाले, खाने वाले तथा वाहन भी खड़े थे। यह भी कथन करते हैं कि जब अभियुक्त मोटरसाईकिल छोड़कर भागा उस समय उपस्थित लोगों ने खड़े होकर देखा था फिर भी उन्होंने किसी भी सामान्य जन को साक्षी नहीं बनाया है। साक्षी अजीत अ0सा0 2 प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि नावली तिराहा के पास एक पंचर की दुकान है एक ढावा व एक फार्म हाउस बना है। इस साक्षी का यह कथन महत्वपूर्ण है कि पुलिस फोर्स करीब आधा घण्टे तक उस स्थान पर खड़ा रहा फिर भी हाईवे व जनता अथवा स्थानीय व्यक्ति की उपलब्धता होने पर भी किसी भी स्थानीय व्यक्ति को कथित कार्यवाही का साक्षी क्यों नहीं बनाया गया, यह प्रश्न अभियोजन के मामले में संदेह उत्पन्न करता है। जितेन्द्र अ0सा0 1, अजीत अ0सा0 2 व जब्तीकर्ता अ0सा0 5 से भिन्न नावली रोड पर पंचर की दुकान होने के तथ्य के संबंध में इंकार करते हैं किन्तु नावली रोड के पास पुल के पास एक मंदिर होने का तथ्य स्वीकार करते हैं। ऐसे में जहां स्वतंत्र साक्षी की उपलब्धता थी फिर भी किसी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया, यह तथ्य संदेह उत्पन्न करता है।

9. जब्तीकर्ता अ0सा0 5 के कथन अनुसार थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई इसके उपरान्त शासकीय वाहन से वे लोग नावली रोड ग्वालियर हाईवे पर पहुंचे थे। साक्षी जितेन्द्र अ0सा0 1 व अजीत अ0सा0 2 इससे भिन्न कथन करते हुए बताते हैं कि वे लोग शासकीय वाहन से इलाका भ्रमण हेतु गए थे तब मुखबिर से थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई थी, तत्पश्चात् सूचना की तस्दीक हेतु नावली रोड पर गए थे। ऐसे में जब्तीकर्ता एवं जब्ती साक्षी जो पुलिस विभाग के व्यक्ति हैं इसके बावजूद भी उनके कथनों में तात्त्विक विरोधाभास दर्शित है। यह तथ्य संदेह का आधार उत्पन्न करता है।

10. प्रकरण में जब्ती साक्षी जितेन्द्र अ0सा0 1 यह कथन कण्डिका 4 में करते हैं कि जब्तीकर्ता अ0सा0 5 ने अभियुक्त से जब्ती कर मौके पर लिखापट्टी बैठकर की थी और कट्टा व कारतूस को सीलबंद किया था। जब्तीकर्ता अ0सा0 5 द्वारा कथित आग्नेय आयुध को सीलबंद किए जाने का कोई तथ्य अपने मुख्य परीक्षण में नहीं किया है। प्र0पी0 1 के जब्ती पत्रक में कॉलम नं 13 नमूना सील का कॉलम है उसमें कोई नमूना सील अंकित नहीं है जबकि प्र0पी0 1 पर नोट अंकित है कि "पंचान समक्ष विधिवत जब्तीकर जब्ती चिट चस्पा की है।" इस प्रकार से कोई नमूना सील अंकित किए जाने का तथ्य अभिलेख पर नहीं है। इसके विपरीत आरमोरर सुनील बौहरे अ0सा0 4 के रूप में परीक्षित कराए गए तो प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कथन करते हैं कि कट्टे की सील उनके द्वारा खोली गयी थी, यह भी कथन करते हैं कि कपड़े की पपड़ी पर पी0एस0 गोहद चौराहा की सील लगी थी जबकि प्र0पी0 1 में कोई नमूना सील अंकित नहीं है ऐसे में आरमोरर सुनील अ0सा0 4 के पास जो आग्नेय आयुध भेजा गया उसके संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाता है। प्रकरण में संपूर्ण अभिलेख पर आग्नेय आयुध के थाने के मालखाने के किस नंबर पर जमा किया गया इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। ऐसे में अभिकथित आग्नेय आयुध की अनन्यता ही प्रश्नचिन्हित हो जाती है। अभियोजन साक्षियों ने अभिकथित कट्टा व कारतूस की पहचान का कोई विशिष्ट चिन्ह या संकेत नहीं बताया है ऐसे में जो कट्टा व कारतूस अभियुक्त से जब्त करना दर्शाया है क्या वही आरमोरर व अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला दण्डाधिकारी के समक्ष भेजा गया, यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है।

11. प्रकरण में जब्तीकर्ता अ0सा0 5 के अनुसार एवं जितेन्द्र अ0सा0 1 व अजीत अ0सा0 2 के अनुसार कथित मोटरसाईकिल पर तीन व्यक्ति बैठे थे जबकि साक्षी जितेन्द्र अ0सा0 1 यह बताते हैं कि उन व्यक्तियों के संबंध में भी लिखापट्टी हुई थी। अजीत अ0सा0 2 यह कण्डिका 3 में बताते हैं कि अभियुक्त जयकुमार के अतिरिक्त अन्य को नहीं पहचान सकते हैं। ऐसे में सर्वप्रथम तो यदि अभियुक्त के साथ में अन्य व्यक्तियों को पकड़ा गया तो उनके संबंध में भी इसी प्रकरण में तथ्य स्पष्ट होने चाहिए थे जिनका अभाव है। साथ ही जब किसी स्थान पर तीन व्यक्तियों को एक साथ पकड़ा जावे तो केवल एक को पहचान पाने का कथन संदेह उत्पन्न करता है।

12. महेन्द्र अ0सा0 3 आर्म कलर्क है जो दिनांक 04.12.15 को जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में कथित आग्नेय आयुध प्रस्तुत करने पर केस डायरी अवलोकन उपरांत जिला दण्डाधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्र0पी0 3 दिया जाना बताते हैं जिस पर ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। साक्षी आरमोरर सुनील अ0सा0 4 के द्वारा दिनांक 24.11.15 को कट्टा व कारतूस की जांच करने पर कट्टा चालू हालत में व कारतूस जीवित अवस्था में होने का कथन करते हुए प्र0पी0 4 की रिपोर्ट तैयार करना बताते हैं। किशनलाल अ0सा0 6 अनुसंधानकर्ता हैं जो जितेन्द्र अ0सा0 1 व अजीत अ0सा0 2 के कथन लेखबद्ध करना बताते हैं। उक्त साक्षियों की साक्ष्य सारवान प्रकृति की न होकर औपचारिक है जिसका अभियोजन के मामले व अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर कोई सारवान प्रभाव नहीं पड़ता है।

13. प्रकरण में जब्तीकर्ता अ0सा0 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि अभियुक्त को गिर0 कर मय आग्नेय आयुध थाने पर आकर रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि की थी। प्र0पी0 5 की प्राथमिकी में

रोजनामचा सान्हा का कमांक अवश्य अंकित है किन्तु रोजनामचा सान्हा जो कि लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है उसे प्राइवेट दस्तावेज की भांति मूल से प्रमाणित किए जाने के संबंध में विधि उपबंध करती है। ऐसे में अभिकथित रोजनामचा सान्हा को विधिवत प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसे में जब्तीकर्ता एवं पुलिस के द्वारा की गयी कार्यवाही सुसंगत दस्तावेजों के अभिसमर्थन के अभाव में प्रमाणित नहीं होती है।

14. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। “सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 17.11.15 को समय 09:45 बजे, नावली रोड शर्मा फार्म हाउस के आगे रोड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस रखा। अतः अभियुक्त जयकुमार को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका दफ़्तर की धारा 437 क के अधीन 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

16. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा व कारतूस अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजे जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

17. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दफ़्तर का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश